न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 46/2021

अमिलाल पुत्र रामचंद्र उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी बृजलालपूरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

——

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार चिडावा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम अमिलाल मु.न.–26/2020 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 तारीख निर्णय दिनांक 21.01.2021

——

उपस्थितः—

1. श्री सुशील कुमार वर्मा, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओरसे।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 10.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश हुई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से अपील इस प्रकार पेश है कि निवेदन है कि अदालत मातहत तहसीलदार, चिडावा द्वारा पारित निर्णय जैर बहस दिनांकित 21.01.2021 खिलाफ कानुन, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योकि अपीलान्ट को जिस जगह अतिक्रमी बताया है वह जगह अपीलान्ट की पैतृक भूमि है जिसमें बने मकानात व बरामदा अरसो वर्ष पहले अपीलान्ट के दादा व पिता ने निर्माण किया था। उक्त भूमि व भूमि में बने मकानात अपीलान्ट को विरासत में मिले है। अपीलान्ट द्वारा पुराने बरामदे पर मात्र प्लास्टर (लिपाई) की गई है। ग्राम बृजलालपुरा के खसरा नं. 49 [illegible] के बीच में आबाद है। इस प्रकार से ग्राम बृजलालपुरा की आबादी भूमि में अपीलान्ट [illegible] मकानात बने हुए है तथा घनी आबादी बसी हुई। उक्त भूमि आबादी में आ रखी [illegible] धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नहीं है। मौजुदा प्रकरण में कब्जे व किस्म जमीन का विवाद एक सारभूत है। कानूनन से जहां कब्जे व जमीन किस्म का विवाद सारभूत विवाद हो वहां धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत एक समरी कार्यवाही कर प्रभावित व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता। उपरोक्त प्रकार से कब्जे व किस्म जमीन के सारभूत विवाद रेगुलर कार्यवाही कर बाद शपथपूर्वक साक्ष्य एक सदभावी रूप से आबाद व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित करने मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना नहीं की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य व दस्तावेज सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया। इस प्रकार निर्णय जैर बहस प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने से खारिज होने याग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:39 IST
Reason: SelfAttested

नहीं मानने में कानूनी भूल की है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट स्थानीय राजनैतिक से प्रभावित रही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट अतिक्रमी है इस बाबत निर्णय जैर बहस में विस्तृत विवरण नही दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2021 खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योकि अपीलान्ट को जिस जगह अतिक्रमी बताया है वह जगह अपीलान्ट की पैतृक भूमि है जिसमें बने मकानात व बरामदा अरसो वर्ष पहले अपीलान्ट के दादा व पिता ने निर्माण किया था। उक्त भूमि व भूमि में बने मकानात अपीलान्ट को विरासत में मिले है। अपीलान्ट द्वारा पुराने बरामदे पर मात्र प्लास्टर (लिपाई) की गई है। ग्राम बृजलालपुरा के खसरा नं. 49 रकबा 19.78 हैक्टर में घनी आबादी के बीच में आबाद है। इस प्रकार से ग्राम बृजलालपुरा की आबादी भूमि में अपीलान्ट के पुराने मकानात बने हुए है तथा घनी आबादी बसी हुई। अपीलान्ट द्वारा नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है। विवादित आराजी को आबादी क्षेत्र में मानते हुये नक्शा में आबादी मानी जावें। अपीलान्ट ने नया निर्माण नहीं किया है बल्कि केवल मरम्मत का कार्य किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2021 के आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने बरामदा बनाकर अवैध निर्माण किया है। उक्त पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बृजलालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 19.78 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में से 0.05 हैक्टर पर अतिक्रमी माना है। जिसके संबंध में अपीलान्ट का तर्क है कि उसके द्वारा विवादित आराजी पर नया निर्माण नहीं किया गया है, केवल मरम्मत कार्य किया गया है। उक्त निर्माण पुराना है जो उसके दादा व पिता द्वारा किया गया है। अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। रिकार्ड से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अतिक्रमण शुदा भूमि की किस्म गै.मु. जोहड है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.सी सं. 3109/2011 जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा विधिसम्मत् रूप में आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में [illegible] है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील [illegible] होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से निर्णय पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/08/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:39 IST
Reason: SelfAttested